न्यायालय :- श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

(450)

R-3810-I-16

1. लक्ष्मन तनय भगोनी उम्र 70 वर्ष
2. अमान तनय भागोनी उम्र 73 वर्ष
3. मकुन्दी तनय भगोनी उम्र 65 वर्ष
जाति लोधी निवासी डोमा तह० केसली जिला सागर

आवेदकगण / - रिवीजनकर्तागण

//बनाम//

म. प्र. शासन — अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959

२१४बाट्‌ु ५ ३ २२५ द्वारा आज दि. ५.११.१६ को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदकगण निम्न लिखित प्रार्थी है :-

रिवीजनकर्तागण अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा अपील प्र. क्र. 1473/59 वर्ष 2005-06 नाम पक्षकार लक्ष्मन विरूद्ध म. प्र. शासन मे पारित आदेश दिनांक 26 मार्च 2007 से परिवेदित होकर निम्न लिखिततथ्य एवं आधारो पर प्रस्तुत कर प्रार्थी है :-

रिवीजन के तथ्य इस प्रकार है कि रिवीजनकर्तागण लक्ष्मन एवं अन्य दो व्यक्ति ने दिनांक 7.9.2000 को कलेक्टर महो. सागर को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम डोमा बन्दो. नं. 341 का हल्का नंबर 33/21 मे स्थित भूमि ख. नं. 390 रकबा 4.00 हेक्टे. ख. नं. 315 रकबा 1.16 हेक्टे. भूमि को काबिल कास्त घोषित कर व्यवस्थापन मे दी जाये ।

//रिवीजनके आधार//

1. यहाकि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य एवं कानूनन का सूक्ष्मता से अवलोकन नही किया है और न ही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–सागर

प्रकरण कमांक निगरानी 3810/एक/2016

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-1-17	यह निगरानी आवेदकगण लक्ष्मण मुकन्दी, अमान वल्द भगौनी द्वारा कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 147/अ–59/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.03.2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक लक्ष्मन एवं अन्य तीन व्यक्तियों द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र दिनांक 7.9.2000 को प्रस्तुत किया। कि ग्राम डोमा के खसरा नं. 390 में से 4.00 है0, खसरा नं. 315 रकवा 1.16 है0 एवं खसरा नं. 386 रकवा 1.61 है0 भूमि को काबिल कास्त घोषित कर उन्हे पट्टे पर दी जाये। तहसीलदार केसली एवं अनुविभागीय अधिकारी देवरी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अपर कलेक्टर सागर द्वारा न्यायालीयन प्रकरण क्रमांक 146/अ–59/02–03 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2002 द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध कमिश्नर सागर संभाग सागर के न्यायालय मे अपील प्रकरण क्रमांक 147/अ–59/2005–06 प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 26.03.2007 से निरस्त की गयी। इसी आदेथ के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय	

कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा जो आदेश दिनांक 26.03.2007 को पारित किया गया है। उसकी कोई सूचना उनको नहीं दी गयी है। और न ही उनके अभिभाषक द्वारा ऐसी स्थिति में आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अधिवक्ता द्वारा बताये जाने पर दिनांक 03.10.2016 को हुयी। तब नकल के लिये आवेदन पत्र दिया गया एवं नकल दिनांक 19.10.2016 को प्राप्त हुयी तब प्रकरण में आक्षेपित आदेश दिनांक 26.03.2007 की वास्तविक जानकारी हुयी। अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नही किया जाना चाहिये इस सिद्धांत को विचार में रखते हुये वर्तमान निगरानी में संलग्न धारा 5 एवं आदेश नियम 10 के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाता है। निगरानी में संलग्न आदेश 1 एवं नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता का आवेदन न्याया हेतु स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि आवेदकगण के पूर्वज भगोनी बल्द दलपत, सरू बल्द दलपत का उक्त भूमि पर 1953 से मौजा डोमा ब.नं. 341/100 प.ह.न. 33/21 तहसील रेहली जिला सागर खसरा नं. 120/1, 120/2 का रकवा क्रमशः 403, 0.20 है0 पर कब्जा चला आ रहा है वर्ष 1979 से 1985 तक उक्त भूमि का समय–समय पर बंटन होकर उक्त भूमि खसरा नं. 120/77 रकवा 65.96 है0 हो गया है। इसके बाद बंदौबस्त होकर पुराना ख.न. 120/77 का नया नम्बर 390 रकवा 7.94 एवं 315 रकवा 1.16 है0 निर्मित हुआ। जिसपर आवेदकगण ख.न. 390 के रकवा 4. 00 है0 पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। उक्त भूमि को वर्ष 1953 से बंधान डालकर आखट खोदकर कुआॅ खोदकर सिचाई योग्य बनाकर समतल कर कृषि योग्य बना लिया है। जबतक आवेदकगण के पिता जिवित रहे। वह भू–राजस्व जमा कराते रहे इसके बाद आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि पर फसल बोकर कृषि कार्य किया जाता रहा है। उक्त भूमि का बंटन राजघाट वालो को हो गया था जिसपर आवेदकगण का कब्जा होने से राजघाट वालो ने उक्त भूमि लेने से इन्कार कर दिया। उक्त भूमि के पट्टे की अपील इस न्यायालय मे प्रकरण क्रमांक 1388/01 प्रस्तुत की गयी थी

जो पारित आदेश दिनांक 06.06.2012 को स्वीकार भूमि पूर्ववत् म.प्र. शासन में दर्ज हो चुकी है। आवेदकगण का उक्त भूमि से कभी भी नहीं हटाया गया। वर्तमान मे आवेदकगण उक्त भूमि पर काबिज है तथा भूमि खसरा नं. 390 का नक्था में बंटाक नहीं हुआ खसरा में आवेदकगण के कब्जे की भूमि के बंटान 390/7, 390/8, 390/1 हो गये है। आवेदकगण के पिता का म.प्र. भू–राजस्व संहिता लागू होने से पूर्व से वर्ष 1953 से कब्जा खसरा नं. 12 के कॉलम में दर्ज है। ऐसी स्थिति मे मध्य भारत लेण्ड रेवेन्यू ऐक्ट 1950 की धारा 62 के अधीन पक्के कृषक के स्वत्व पर भूमि का बंटन म.प्र भू–राजस्व संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व हो चुका था। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर एवं कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा जो आदेश पारित किये गये है। वह विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाये एवं आवेदकगण को भूमि का व्यवस्थापन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से उपस्थित शासकीय सूची अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है, कि वर्तमान निगरानी अत्यधिक अवधि बाह्य प्रस्तुत की गयी है। जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा वर्तमान प्रकरण में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पष्ट है कि आवेदकगण मुकुन्दी के पास भूमि स्वामी स्वत्व पर 3.33 है0 लक्ष्मन के पास 0.37 है भूमि तथा अमान के पास 2 है0 भूमि है। आवेदकगण अपने परिवार के साथ पृथक–पृथक निवास कर रहे है। ऐसी स्थिति उनके हिस्से में प्राप्त भूमि अत्यधिक कम है। आवेदकगण का बादग्रस्त भूमि का 60–65 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है, वर्ष 1953–57 के खसरा पंचथाला कॉलम नं. 12 में आवेदकगण के पिता का कब्जा दर्ज है। उक्त भूमि का व्यवस्थापन ज्ञापन क्रमांक

9351/सात/सामान्य/2/28 अक्टूबर 1957 के तहत् 4.00 है0 भूमि का व्यवस्थापन की पात्रता आवेदकगण रखते है। ग्राम पंचायत ने भी प्रस्ताव पारित कर आवेदकगण के हित में व्यवस्थापन की अनुथंसा की है जिसपर ग्राम वासियों को आपत्ति नहीं है। अतिक्रांमक के पास 15 एकड़ से कम भूमि होने के कारण ख.न. 390 रकवा 7.94 है0 में से 4.00 है0 भूमि का व्यवस्थापन आवेदकगण के साथ किया जाये। क्योंकि खसरा नं. 120/1 के कॉलम नं. 12 में वर्ष 1954–55 में आवेदकगण के पिता भगोनी एवं भाई सरू का नाम दर्ज है ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा विचार नहीं किया गया है इसलिये आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कमिश्नर सागर संभाग सागर, द्वारा प्रकरण क्रमांक 147/अ–59/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2007 एवं अपर कलेक्टर सागर के प्रकरण 146/अ–59/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2002 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं तहसीलदार केसली को आदेशित किया जाता है कि आवेदकगण को मौजा डोमा प.ह.न. 21 में स्थित भूमि ख.न. 390 रकवा 7.94 है में से 4.00 है0 भूमि का व्यवस्थापन किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवेदकगण का नाम दर्ज करे तथा आवेदकगण से अतिक्रमण वर्ष से भू–राजस्व वसूल किया जाये। उक्त निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य